न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 160 / 2026
आदेश

03.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त लालबाबू साह उर्फ लल्लू साह की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(1), 190, 109, 351(2), 352, 118(1) के अधीन दर्ज सूर्यपुरा थाना कांड सं0 420 / 2025 में दिनांक 30.04.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में सुश्री सबा शकील, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बिजय प्रसाद को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार कमल को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 30.12.2025 को लगभग 12.30 बजे दिन में ग्राम कल्याणी में सूचक कमलेश पाण्डेय एवं उसके भाई मनोज पाण्डेय, गेहूं की फसल की सिंचाई हेतु पाइप बिछा रहे थे। उसी समय अभियुक्तगण वहां आए, पानी की पाइप को फेंक दिए तथा गाली–गलौज करते हुए मारपीट किए। आगे अभियोजन का वाद यह है कि लल्लू साह ने अपनी दुकान से लोहे की रॉड निकालकर मनोज पाण्डेय के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा। तत्पश्चात अन्य सह अभियुक्त भी आकर मारपीट करने लगे तथा धमकी दी कि यदि थाना जाओगे तो जान से मार देंगे।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 18387 / 2026 के द्वार अस्वीकृत किया गया है, उसके बाद आवेदक अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दायर नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी। अभियोजन का वाद झूठा और मनगढ़ंत है।उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है तथा इस वाद के सूचक ने प्रतिवाद वाले वाद से बचने के लिए यह वाद लाया है। प्रस्तुत वाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानतीय है तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अधीन आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.04.2026 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

लगातार
03.06.2026

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ जान मारने की नीयत से मारपीट करने का अभियोग है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी मनोज पाण्डेय के शरीर के मर्मस्थान सिर पर के जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया था। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त इस वाद की प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ जान मारने की नीयत से मारपीट करने का अभियोग है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी मनोज पाण्डेय के शरीर के मर्मस्थान सिर पर के जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया था।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।